



राष्ट्रीय फैशन टेक्नालॉजी संस्थान

सांविधिक संस्थान निफ्ट अधिनियम 2006, द्वारा शासित और
वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित

NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY

A Statutory Institute under the NIFT Act, 2006 and
set up by the Ministry of Textiles, Government of India

1312 (502) /प्रशासन/मु./निफ्ट-मुख्यालय में बागवानी सेवा/ 2018

30 अगस्त, 2018

सेवा में,

मेसर्स. _____

विषय: - निफ्ट-मुख्यालय में बागवानी सेवा/गमलायुक्त पौधों के लिए सीमित निविदा इन्क़ारी आमंत्रण हेतु।

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान – मुख्यालय, एन.आई.एफ.टी.-हेड ऑफिस बिल्डिंग, निफ्ट कैंपस
अपोजिट गुलमोहर पार्क, हौज खास, नई दिल्ली - 110 016 के दूसरे और तीसरे मंजिल पर बागवानी
सेवा/गमलायुक्त पौधों के लिए मुहरबंद कवर में उद्घरण आमंत्रित करता है। जोकि नीचे दिए गए विवरणों के
अनुसार है :-

S.No	Details of Potted Plants
1	Arri's Palm
2	Revies Palm
3	Foplex Palm
4	Ken Palm / Kentia Palm
5	Diffenbechia
6	Aglonima & Juungle Parrot
7	Karothan / Beriket of Banglori/Singapoori/Kolkata
8	Arokeria (Charismas tree)
9	Money Plant Savoniam of all Varities
10	Sagmoniam Tree
11	Any other Plant as required by NIFT from time to time

नियम और शर्तें :-

1. गमलायुक्त पौधों को किराए पर और नि: शुल्क रखरखाव प्रणाली पर प्रदान किया जाएगा और जिसका रखरखाव नर्सरी द्वारा किया जाएगा।

डिजाइन मैनेजमेंट और टेक्नालॉजी का सर्वश्रेष्ठ संस्थान

An Institute of Design, Management and Technology

(An ISO 9001: 2008 certified Institute)

पृष्ठ.....2/-

NIFT Campus, Hauz Khas, New Delhi - 110016

t +91 11 26542129, 26542070 | f +91 11 26851198 | e info@nift.ac.in

www.nift.ac.in

2. अनुबंध शुरू में एक वर्ष की अवधि के लिए होगा और यदि सेवाओं को संतोषजनक पाया जाता है, तो निफ्ट को अनुबंध का विस्तार करने का अधिकार सुरक्षित है आपसी सहमति पर इन्हीं नियम और शर्तों पर सालाना आधार पर सालाना आधार पर दो साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, सामान्य परिस्थितियों में करार किसी भी पार्टी द्वारा लिखित में एक महीने का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है।
3. ठेकेदार को इस संबंध में एक करार पर हस्ताक्षर करना होगा।
4. प्रभारों में पॉटेड प्लांट्स के लिए प्लास्टिक की ट्रे, माली का प्रभार, पेंट, खाद लागू कानून के अनुसार ठेकेदार द्वारा भुगतान किया जाएगा। समय-समय पर लागू जीएसटी की दर अतिरिक्त देय होगी।
5. ठेकेदार अनुमोदित सूची के अनुसार न्यूनतम 70 नग गमलायुक्त पौधे को उचित रूप से बनाए रखेगा और जब आवश्यक हो तब उन्हें घूर्णन आधार पर बदल देगा। आवश्यकता के अनुसार गमलायुक्त पौधों की संख्या में वृद्धि या कमी हो सकती है
6. गमलायुक्त पौधों को नर्सरी द्वारा किराए और मुक्त रखरखाव प्रणाली पर उठाए गए रखरखाव सहित प्रदान किया जाएगा।
7. किसी भी पौधे के नुकसान के मामले में इसे मुफ्त में बदला जाएगा।
8. भुगतान मासिक आधार पर बिल की प्राप्ति होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर जारी किया जाएगा।
9. ठेकेदार मिट्टी के बर्तनों में 3-5 फीट ऊंचाई के स्वस्थ इनडोर विविध प्लांट्स की आपूर्ति करेगा। हालांकि, सूख जाने वाले पौधे तुरंत बदल दिए जाएंगे।
10. पौधों के उचित रखरखाव के लिए ठेकेदार द्वारा माली / गार्डनर की सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी।
11. निफ्ट-मुख्यालय को आवश्यक पौधों का चयन करने का एकमात्र अधिकार है या संलग्न पौधों की सूची के अलावा किसी भी चरण में किसी विशेष पौधे के लिए पूछना है।
12. सेवा प्रदाता / ठेकेदार द्वारा आपूर्ति किए गए किसी भी पौधे या गमलों को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना निफ्ट-परिसर से हटाया नहीं जाएगा।
13. ताजगी, गुणवत्ता और मात्रा का निरीक्षण करने के लिए एक यादृच्छिक जांच आयोजित की जाएगी। इस संबंध में निफ्ट-मुख्यालय का निर्णय ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।
14. ठेकेदार रोजाना सभी पौधों को पानी, सफाई, छंटनी, छिड़काव, कीटनाशक के छिड़काव से बनाए रखेगा, खाद डालने और पौधे को सभ्य रूप देने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है, ठेकेदार उसके द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री की ताजगी के लिए जिम्मेदार होगा।
15. किसी भी कारण से ठेकेदार को कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
16. निफ्ट-मुख्यालय में अनुबंधक कर्मियों से संबंधित विभिन्न श्रम, औद्योगिक और लागू अन्य कानूनों और सभी सांविधिक दायित्वों, जैसे मजदूरी, भत्ते, क्षतिपूर्ति, ईपीएफ, बोनस, ग्रैच्युइटी, ईएसआई इत्यादि के प्रावधानों के अनुपालन के लिए ठेकेदार पूरी तरह उत्तरदायी होगा। इस संबंध में निफ्ट-मुख्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
17. निफ्ट-मुख्यालय में ठेकेदार के द्वारा तैनात कर्मियों के लिए ठेकेदार किसी भी दुर्घटना / चिकित्सा / स्वास्थ्य संबंधी देयता / मुआवजे के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगा। इस संबंध में निफ्ट-मुख्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
18. निर्देश/करार या तथ्यों के दमन का कोई भी उल्लंघन बिना किसी संदर्भ या किसी नोटिस अवधि के समझौते को रद्द कर देगा।

19. ठेकेदार निफ्ट-मुख्यालय में तैनात कर्मियों को मजदूरी के समय पर मासिक भुगतान और किसी भी अन्य बकाया के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगा।
20. ठेकेदार द्वारा प्रदान किए गए कर्मियों को निफ्ट-मुख्यालय के कर्मचारी बनने का दावा नहीं किया जाएगा और निफ्ट के उद्देश्य से ठेकेदार द्वारा लगाए गए कर्मियों के बीच कोई कर्मचारी और नियोक्ता संबंध नहीं होगा।
21. दरें फर्म प्राइस आधार पर होंगी और अनुबंध अवधि के दौरान ठेकेदार को देय दरों में कोई वृद्धि नहीं होगी।
22. लागू कानूनों के अनुसार ठेकेदार के बिलों से आयकर (टी.डी.एस) काटा जाएगा।
23. जनशक्ति ठेकेदार द्वारा तैनात कर्मियों द्वारा अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करने वाले कर्मियों के हिस्से में चूक के कारण निफ्ट को होने वाली किसी भी हानि के मामले में, इस तरह के नुकसान अनुबंध ठेकेदार द्वारा मुआवजा दिया जाएगा और इस संबंध में, निफ्ट- मुख्यालय द्वारा ठेकेदार पर जुर्माना लगाए जाने के अलावा निफ्ट को इस तरह के नुकसान को अच्छी तरह से भरपाई करने के लिए बिल इत्यादि से उचित राशि का कटौती करने का अधिकार होगा। ठेकेदार द्वारा तैनात कर्मियों के हिस्से पर किसी भी कमी/चूक के मामले में, निफ्ट- मुख्यालय अनुबंध को समाप्त करने या किसी भी कारण के बिना किसी भी अन्य कार्रवाई के अधिकार के भीतर होगा।
24. ठेकेदार द्वारा आवश्यक वस्तुओं के सुचारु और कुशल आपूर्ति और रखरखाव के लिए निफ्ट- मुख्यालय के प्रभारी संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखा जाएगा।
25. ठेकेदार अनुबंध को पूर्ण या उसके हिस्से में आउटसोर्स या हस्तांतरित नहीं करेगा।
26. यदि किसी भी वस्तु की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं पाई जाती है, तो ठेकेदार बिना किसी अतिरिक्त लागत के तुरंत उन्हें बदलने के लिए सकारात्मक होगा।
27. ठेकेदार के पास सभी वैधानिक लाइसेंस/पंजीकरण होंगे जो दिल्ली में आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति / प्रदान करने के लिए आवश्यक/अनिवार्य हैं।
28. आवश्यकता में कमी या सूखे पौधों या पौधों की आपूर्ति जैसे कि घटिया, सूखे पौधों, खराब रखरखाव या पौधों की आपूर्ति जैसे सेवा में कमी की स्थिति में, प्रत्येक अवसर के लिए बिल का 10% का जुर्माना लगाया जायगा। इस संबंध में निफ्ट- मुख्यालय का निर्णय ठेकेदार पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।
29. ठेकेदार द्वितीय मंजिल, निफ्ट- मुख्यालय, नई दिल्ली में 10% अतिरिक्त भीतरी गमलायुक्त पौधों के बराबर तैयार बैक अप आपूर्ति रखेगा।
30. निफ्ट- मुख्यालय का निर्णय नियम और शर्तों की व्याख्या के संबंध में अनुबंध ठेकेदार पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।
31. चयनित ठेकेदार को रुपये 4,000/- की राशि सुरक्षा जमा के रूप में डीडी / चेक के रूप में अनुबंध की समाप्ति तक जमा करने की आवश्यकता है। उस पर कोई ब्याज नहीं देय होगा।
32. ठेकेदार के पास वैध जीएसटी पंजीकरण होना चाहिए और ठेकेदार द्वारा दिया गया प्राइस जीएसटी के वगेर होना चाहिए।
33. देरी से प्राप्त बोली और समय के बाद प्राप्त बोलियां मानी नहीं जाएंगी।
34. इस आदेश के अर्थ या व्याख्या के संबंध में उत्पन्न किसी भी विवाद या अंतर के मामले में, इसे महानिदेशक-निफ्ट द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र मध्यस्थ को संदर्भित किया जाएगा। मध्यस्थता और समझौता अधिनियम, 1996 मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होगा और मध्यस्थता का स्थान नई दिल्ली में होगा। मध्यस्थ का पुरस्कार अंतिम और बाध्यकारी होगा।

35. आदेश भारत के कानूनों के अनुसार शासित और व्याख्या किया जाएगा और केवल नई दिल्ली में अदालतों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

36. ठेकेदार अपनी बोली के साथ जीएसटी प्रमाणपत्र जमा करेगा।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, आपसे अनुरोध है कि दिनांक 24.09.2018 को सुबह 11:00 बजे तक मासिक आधार पर उपरोक्त पोटेट प्लांट्स के संबंध में दरों को उद्धृत करने का अनुरोध किया जाए। जिसमें विधिवत शीर्ष पर " निफ्ट-मुख्यालय में बागवानी सेवा/गमलायुक्त पौधों के लिए कोटेशन" संबोधित किया जाना चाहिए :-

निदेशक (प्रशासन)


राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान

मुख्यालय

गुलमोहर पार्क के पास, हौज खास,

नई दिल्ली - 110 016

सीमित निविदा इन्व्कारी दिनांक 25.09.18 को सुबह 11:00 बजे निविदाओं/बोलीदाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधि, यदि उस समय कोई उपस्थित हो, की उपस्थिति में खोला जाएगा।



(डॉ सुहेल अनवर)

निदेशक (प्रशासन)